

## प्ररूप-26

पेटेंट अधिनियम, 1970

(1970 का 39)

अधिनियम के अधीन किसी मामले या कार्यवाही में पेटेंट अभिकर्ता/या किसी व्यक्ति के प्राधिकार का प्ररूप  
(धारा 127 और 132, नियम 135 देखिए)

1. नाम, पता और राष्ट्रीयता लिखें	मैं/हम .. .. .
2. प्राधिकृत किये जाने वाले व्यक्ति का नाम, पता और उसकी राष्ट्रीयता लिखें	..... <sup>2</sup> को मेरी/हमारी ओर से..... ..... <sup>3</sup> के संबंध में कृत्य करने के लिए प्राधिकृत करता हूं/करते हैं और अनुरोध करता हूं/करते हैं कि उससे संबंधित सभी सूचनाएं/अध्यपेक्षाएं और पत्र को ऐसे व्यक्ति के पास और उक्त पते पर तब तक भेजे जा सकते हैं जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो ।
3. उस विशिष्ट मामले या कार्यवाही का उल्लेख करें, जिसके लिए प्राधिकार दिया गया है ।	मैं/हम उसी मामले या कार्यवाही के संबंध में, सभी पूर्ववर्ती प्राधिकार, यदि कोई दिए गए हैं, उपर्युक्त पते पर प्रतिसंहत करता हूं/करते हैं ।
4. इस प्राधिकार को करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किया जाए ।	मैं/हम उपर्युक्त मामले में उक्त व्यक्ति द्वारा पहले की गयी कार्रवाई से सहमत हूं/हैं ।
5. उस व्यक्ति का नाम जिसने हस्ताक्षर किए हैं, और पदनाम तथा सरकारी मुद्रा, यदि कोई है ।	तारीख...../20 ..... (हस्ताक्षर) <sup>4</sup> ..... ( ) <sup>5</sup> .....
भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899(1899 का 2) के अधीन स्टांपित किया जाए ।	सेवा में, पेटेंट नियंत्रक, पेटेंट कार्यालय,